भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 321
दिनांक 22 जुलाई, 2025/ 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वयोवृद्ध जनों के साथ साइबर अपराध की घटनाएँ

†321. श्री एम. के. राघवनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विगत पाँच वर्षों के दौरान देश भर में साइबर अपराधों में हुई वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान दर्ज साइबर अपराधों का ब्यौरा क्या है और वित्तीय साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में बड़ी संख्या में वयोवृद्ध जन साइबर अपराधों का शिकार हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि वयोवृद्ध जन साइबर अपराधों का शिकार न हों;

(ङ) देश में वयोवृद्ध जनों द्वारा दर्ज की गई साइबर अपराध शिकायतों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) केरल में दर्ज वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों का जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

साइबर अपराध के दर्ज मामले	वर्ष				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	27,248	44,735	50,035	52,974	65,893

लोक सभा अता. प्र.स. 321 दिनांक 22.07.2025

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा देश में वयोवृद्ध जनों द्वारा दर्ज साइबर अपराध शिकायतों के संबंध में विशिष्ट आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध और वयोवृद्ध जनों के प्रति साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने वयोवृद्ध जनों के प्रति साइबर अपराधों समेत साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

v. अभी तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,63,348 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

vi. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं: -

1) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।
2) दिनांक 28.10.2024 को डिजिटल गिरफ्तारी पर आकाशवाणी**,** नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
3) कॉलर ट्यून अभियान**:** आई4सी ने दूरसंचार विभाग **(**डीओटी**)** के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं **(**टीएसपी**)** द्वारा अंग्रेजी**,** हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। कॉलर ट्यून के छह संस्करण बजाए गए**,** जिनमें विभिन्न कार्यप्रणाली**,** जैसे डिजिटल गिरफ्तारी**,** निवेश घोटाला**,** मैलवेयर**,** फर्जी लोन ऐप**,** फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापन**,** आदि शामिल थे।
4) केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम और दिनांक 27.11.2024 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में राहगिरी समारोह में भागीदारी आदि शामिल हैं।
5) केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी

अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

(च): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-2022 के दौरान केरल राज्य के जिलों में साइबर अपराधों के तहत धोखाधड़ी के तहत दर्ज मामलों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा अता. प्र. सं. 321 दिनांक 22.07.2025

वर्ष 2018-2022 के दौरान केरल के जिलों में साइबर अपराधों के तहत धोखाधड़ी के तहत दर्ज मामले

क्र.सं.	जिला	2018	2019	2020	2021	2022
1	अलापुझा	1	0	0	0	4
2	एर्नाकुलम कमि.	1	1	2	1	0
3	एर्नाकुलम ग्रामीण	0	0	0	0	0
4	इडुक्की	0	0	0	0	0
5	कन्नूर शहर	0	0	0	0	0
6	कासरगोड	0	1	0	2	0
7	कोल्लम कमि.	0	0	0	0	0
8	कोल्लम ग्रामीण	0	0	0	10	16
9	कोट्टायम	0	0	0	0	0
10	कोझिकोड कमि.	6	1	1	2	0
11	कोझिकोड ग्रामीण	1	0	0	0	6
12	मलप्पुरम	0	0	2	0	0
13	पलक्कड़	0	0	0	0	0
14	पथानामथिट्टा	0	0	0	0	0
15	रेलवे	0	0	0	0	0
16	त्रिशूर कमि.	0	0	0	0	
17	त्रिशूर ग्रामीण	0	0	0	0	0
18	त्रिवेंद्रम कमि.	5	9	0	0	0
19	त्रिवेंद्रम ग्रामीण	0	1	0	1	0
20	वायनाडु	0	1	1	0	0
21	अपराध शाखा	0	0	0	0	0
22	कन्नूर ग्रामीण	-	-	-	0	0
	कुल	**14**	**14**	**6**	**16**	**26**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया